

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 16 अगस्त, 2017

विषय: जनपद नैनीताल में बरेली-अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2118/FP/UK/ROAD/14233/2015, दिनांक 10.03.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-1154/X-4-15/1(598)/2015, दिनांक 07.11.2015 में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद नैनीताल में बरेली-अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०सी०सी० पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
9. मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
19. वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-1154/X-4-15/1(598)/2015, दिनांक 07.11.2015 में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड अपने माध्यम से उक्त शर्तों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या: 70 (1)/X-4-17/1(598)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, श्री संजीव आर्य, मा0 विधायक नैनीताल को मा0 विधायक महोदय के सज्ञानार्थ।
3. श्रीमती सुमित्रा प्रसाद, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, नैनीताल।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
9. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काठगोदाम, नैनीताल।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।